



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38323

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2564/2026

दीपिका

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अयंक मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अयंक मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति, जिनका नाम सचिन कुमार था और जो कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, का निधन 07.12.2025 को हो गया। याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन-सह-सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करती है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम तीसरे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इस रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष दाखिल करे। तीसरा प्रतिवादी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा, और यह निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा; निर्णय लेते समय पात्रता, उपयुक्तता और यदि कोई अन्य प्रतिस्पर्धी दावे हों, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय बनती है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।
7. यह स्पष्ट करना अनावश्यक है कि इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”